सत्र समीक्षा

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र

चौदहवीं राजस्थान विधान सभा का चतुर्थ सत्र बुधवार, दिनांक 25 फरवरी, 2015 को राष्ट्रीय गीत 'वन्दे मातरम् .....' के गायन से आरम्भ हुआ तथा गुरुवार, दिनांक 9 अप्रेल, 2015 को राष्ट्रगान 'जन गण मन' के साथ अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हुआ। इस सत्र का सत्रावसान दिनांक 6 मई, 2015 को हुआ। सत्र में हुई बैठकों की तिथियों का विवरण निम्नानुसार है -

सत्र	कुल बैठकें	बैठकों की तिथि	
चतुर्थ सत्र	26	फरवरी माह -	25, 26 व 27
		मार्च माह -	2, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 21 (शनिवार), 22 (रविवार), 23, 24, 25, 26, 27 व 31
		अप्रेल माह -	1, 6, 7, 8 व 9

सभापति तालिका

सत्र के दौरान माननीय अध्यक्ष ने सदन में दिनांक 26 फरवरी, 2015 को प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 9(1) के अन्तर्गत श्री ज्ञानचन्द पारख को सभापति तालिका का सदस्य मनोनीत किये जाने की सूचना दी।

राज्यपाल महोदय का अभिभाषण

महामहिम राज्यपाल श्री कल्याण सिंह द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को सदन के समक्ष दिये गये अभिभाषण की प्रति विधान सभा के विशिष्ट सचिव द्वारा सदन की मेज पर रखी गई। दिनांक 26 फरवरी, 2015 को सदस्य श्री जोगाराम पटेल द्वारा राज्यपाल महोदय को अभिभाषण के लिए धन्यवाद हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया तथा प्रस्ताव का अनुमोदन सदस्य श्री ज्ञानचन्द पारख ने किया। प्रस्ताव पर चार दिन हुई चर्चा के पश्चात् 3 मार्च, 2015 को मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने वाद-विवाद का उत्तर दिया। वाद-विवाद में 42 माननीय सदस्यों ने भाग लिया । दिनांक 26 फरवरी, 2015 को 4; 27 फरवरी, 2015 को 15; 2 मार्च, 2015 को 14 तथा 3 मार्च, 2015 को 7 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया। चर्चा में भारतीय जनता पार्टी के 30, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 7, बहुजन समाज पार्टी के एक, राष्ट्रीय जनता पार्टी के एक तथा तीन निर्दलीय सदस्यों ने भाग

लिया। चर्चा में भाग लेने वाली महिला सदस्यों में भारतीय जनता पार्टी की 3 तथा इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत थी।

उल्लेखनीय है कि महामहिम राज्यपाल श्री कल्याण सिंह ने जब सदन में अभिभाषण आरम्भ किया तब संसदीय कार्य मंत्री श्री राजेन्द्र राठौड़ ने अभिभाषण को पढ़ा हुआ माना जाने का आग्रह किया। तत्पश्चात् अभिभाषण पढ़ा हुआ माना गया।

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रही त्रुटि की जानकारी

दिनांक 2 मार्च, 2015 को श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने अवगत कराया कि '25 फरवरी को महामहिम राज्यपाल महोदय ने संविधान के अनुच्छेद-176(1) के अन्तर्गत इस सदन में अपने अभिभाषण का पठन किया। अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 14 के अनुसार धन्यवाद प्रस्ताव पर सदन विचार कर रहा है। अध्यक्ष महोदय, अभिभाषण के पृष्ठ संख्या 2 के पैरा संख्या 4 और पृष्ठ संख्या 11 के पैरा संख्या 43 में लिपिकीय भूल के कारण कुछ शब्द और पंक्तियां मुद्रित होने से रह गई, जिसका पता संबंधित मंत्रालय को लगते ही हमने महामहिम से निवेदन किया। अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जब त्रुटि रह जाती है, तो जो संसदीय पद्धति और प्रक्रिया है, कौल एवं शकधर उसके पृष्ठ संख्या 235 में इस चीज का स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि यदि राष्ट्रपति द्वारा अभिभाषण किये जाने और उसकी प्रति पटल पर रखे जाने के बाद किसी मंत्रालय को अभिभाषण में कोई त्रुटि दिखाई देती है तो उसमें सुधार की प्रक्रिया यह है कि संबंधित मंत्रालय राष्ट्रपति का ध्यान उस ओर दिलाता है। जब राष्ट्रपति उस त्रुटि को सुधारने का अनुमोदन कर दे तो राष्ट्रपति सभा को संदेश भेजता है जिसे सीधे अध्यक्ष को सम्बोधित किया जा सकता है या किसी मंत्री के माध्यम से उस तक पहुँचाया जा सकता है तथा जब उसकी घोषणा कर दी जाये तो उसे सभा पटल पर रख दिया जाये तो उसे कार्यवाही वृत्तांत तथा सभा के अधिकारिक अभिलेख में शामिल कर लिया जाता है। अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान के अनुच्छेद-175(2) में तथा राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया नियम-21 में महामहिम राज्यपाल महोदय का संदेश मिले तो सदन में पढ़कर सुनाये जाने का प्रावधान भी है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, जो एक त्रुटि रह गई, मेरा आपसे अनुरोध है कि हमने महामहिम राज्यपाल महोदय से अनुरोध किया और राज्यपाल महोदय ने बहुत कृपापूर्वक संदेश दिया, भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंश के रूप में शामिल करने की अनुमति प्रदान करे।'

राज्यपाल महोदय से प्राप्त संदेश

चतुर्थ सत्र में दिनांक 2 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष ने राज्यपाल महोदय से प्राप्त निम्न संदेश सदन में पढ़कर सुनाया -

'अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक : प.17(30)राभ/2013
दिनांक 01 मार्च, 2015

प्रिय अध्यक्ष महोदय,

मुख्यमंत्री महोदया का अर्द्धशासकीय पत्र क्रमांक एफ.1(8)मं.मं./2014 दिनांक 28 फरवरी, 2015 प्राप्त हुआ। मुख्यमंत्री महोदया ने मेरे द्वारा दिनांक 25 फरवरी, 2015 को सदन में दिये गये अभिभाषण के बिन्दु संख्या 4 व बिन्दु संख्या 43 में लिपिकीय त्रुटिवश रह गई कतिपय अशुद्धियों की ओर मेरा ध्यान दिलाया जाकर शुद्धियां निम्न प्रकार किये जाने का अनुरोध किया है -

1. अभिभाषण के पृष्ठ सं. 2 में बिन्दु संख्या 4 की दूसरी पंक्ति 'पिछला पुनर्गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में वर्ष 1981 में किया गया था' के स्थान पर 'पिछला पुनर्गठन तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री भैरोंसिंह शेखावत के कार्यकाल में वर्ष 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था, पढ़ा जाये।'

2. अभिभाषण के पृष्ठ 11 में बिन्दु संख्या 43 को निम्न रूप से पढ़ा जाए 'राज्य में तकनीकी शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2014-15 में 33 राजकीय सह-शिक्षा तथा 8 महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय कार्यरत रहे व इन राजकीय सह-शिक्षा व महिला पोलिटेक्निक महाविद्यालय की कुल प्रवेश क्षमता 6 हजार 80 रही। इसके अतिरिक्त 175 निजी पोलिटेक्निक महाविद्यालय संचालित रहे, जिसमें प्रवेश क्षमता 51 हजार 655 रही' कृपया उक्त संशोधन की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें।

आपसे निवेदन है कि कृपया अभिभाषण में रही उपरोक्त अशुद्धियों को शुद्ध किये जाने की सूचना माननीय सदस्यों को पहुँचाने का कष्ट करें।

सादर।

सद्भावी,

(कल्याण सिंह)'

अध्यक्षीय व्यवस्था

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 2 मार्च, 2015 श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रही अशुद्धियों की जानकारी सदन को देते हुए उसमें सुधार किये जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया तथा माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में रही त्रुटियों को संशोधित किये जाने हेतु आसन की अनुमति चाही। इस पर श्री प्रद्युम्न सिंह, सदस्य, विधान सभा ने व्यवस्था का प्रश्न उठाते हुए कहा कि 'अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को मंत्रिमण्डल की स्वीकृति के पश्चात् राज्यपाल महोदय को भेजा जाता है। राज्यपाल महोदय इसी अभिभाषण को सदन में पढ़ते हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में पूर्व में इस प्रकार की गलती शायद ही कभी हुई हो। मुझे काफी लम्बा अनुभव है, इस सदन का। आप इसको क्लेरिकल एरर क्यों कह रहे हैं। मंत्रिमण्डल की बैठक में अभिभाषण पढ़ा जाता है, सब-कमेटी इसे अप्रूव करती है। इसके उपरान्त अभिभाषण में त्रुटि रहना अपने आप में एक बहुत गंभीर त्रुटि है। मेरी राय में

आसन से यह निर्देश देना पड़ेगा कि भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति नहीं हो, यही मेरा आपसे अनुरोध है।' इस पर श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि 'अध्यक्ष महोदय, इस अभिभाषण के लिये एक मंत्रिमण्डलीय उप समिति मंत्रिमण्डल ने बनाई थी, मंत्रिमण्डलीय उप समिति ने इस त्रुटि को देखते हुए इसके संशोधन के लिये मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपनी अभिशंसा के साथ राज्यपाल महोदय से इस सम्बन्ध में प्रार्थना की। यह प्रक्रिया जो राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे हैं, उस प्रक्रिया को हमने पूरा कर लिया है। भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं होगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि इसको राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के अंश के रूप में शामिल करने की अनुमति आसन प्रदान करें।'

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो, इससे मैं भी सहमत हूँ।'

2. दिनांक 20 मार्च, 2015 को प्रश्न काल की समाप्ति के पश्चात सदन में जब माननीय अध्यक्ष द्वारा शून्यकाल के सम्बन्ध में व्यवस्था दी जा रही थी, उसी दौरान राजकीय दीर्घा से कतिपय अधिकारी उठकर चले गये। इस पर श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकारियों को इस आशय की जानकारी दी गई है कि जब आसन पैरों पर हो, कोई भी अधिकारी राजकीय दीर्घा से बाहर नहीं जावे, उसके पश्चात् भी आज कतिपय अधिकारी राजकीय दीर्घा से उठकर चले गये। उन्होंने माननीय अध्यक्ष से निवेदन किया कि ऐसे अधिकारियों को आप अपने वैश्म में बुलाकर प्रताड़ित करें। श्री प्रद्युम्न सिंह व श्री घनश्याम तिवाड़ी, सदस्य, विधान सभा ने भी इस सम्बन्ध में विचार प्रकट किये। तत्पश्चात् माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि 'आज सदन में हुई इस घटना के सम्बन्ध में मैं तो आवश्यक कार्यवाही करूँगा ही तथा साथ ही राज्य सरकार भी अपने स्तर पर अधिकारियों को विधान सभा की परम्पराओं से अवगत कराये।'

3. दिनांक 21 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष द्वारा दिये गये निदेशानुसार श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि अध्यक्ष महोदय दिनांक 20 मार्च को मध्याह्न 12.06 बजे जब आसन पैरों पर था और आप अध्यक्षीय व्यवस्था दे रहे थे तब अधिकारी दीर्घा से कुछ अधिकारी अपनी सीट से उठकर जा रहे थे। उन्होंने प्रक्रिया नियम 280 का उल्लेख करते हुए संसदीय कार्य विभाग द्वारा दिनांक 10 फरवरी, 2015 को जारी परिपत्र के क्रमांक 3 में राज्य सरकार द्वारा निदेश जारी किये थे, जो शासन, अतिरिक्त मुख्य सचिव, सचिव, समस्त सचिवों को और सारे विभागाध्यक्षों को प्रेषित किया गया था कि - सदन में प्रश्नकाल के पश्चात् अथवा किन्हीं महत्त्वपूर्ण बिन्दुओं और विषयों से सम्बन्धित प्रकरण पर जब अध्यक्ष महोदय सदन में खड़े होकर सम्बोधित कर रहे हों या व्यवस्था दी जा रही हो तो ऐसे अवसर पर जब तक सम्बोधन समाप्त न हो जाए या व्यवस्था पूरी न हो जाए, तब तक राजकीय दीर्घा से उठकर न जायें। इसके अतिरिक्त आपकी आज्ञा के पश्चात् मैंने मुख्य सचिव को इस सम्बन्ध में पत्र भी लिखा है। श्री प्रद्युम्न सिंह,

सदस्य विधान सभा ने भी इस सम्बन्ध में विचार प्रकट करते हुए आसन से अनुरोध किया कि वे ऐसे अधिकारियों को अपने वैश्म में बुलाकर प्रताड़ित करे उससे ही भविष्य के लिये यह आगाह हो जायेंगे।

इस पर माननीय अध्यक्ष ने व्यवस्था दी कि 'मेरे पास संसदीय कार्य मंत्री जी रिपोर्ट आ गई है, प्रमाणिकता से फुटेज देखकर मार्शल ने भी उनको आईडेंटिफाई कर लिया है। मैं इससे सहमत हूँ कि ब्यूरोक्रेसी द्वारा की गई इस प्रकार की कार्यवाही इस सदन का अवमान है। विधान सभा सचिवालय द्वारा शासकीय दीर्घा प्रवेश पत्र पर भी इस आशय के निर्देश दिये गये हैं। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि मैं इस मामले में सख्त कार्यवाही करूँगा और भविष्य के लिए अधिकारी अनुशासन में रहें, अपनी मर्यादा में रहे।'

4. दिनांक 24 मार्च, 2015 को माननीय अध्यक्ष ने आसन पैरों पर होने की स्थिति में राजकीय दीर्घा से उठकर जाने वाले अधिकारियों को अपने वैश्म में बुलाकर प्रताड़ित किये जाने के सम्बन्ध में सदन को यह जानकारी दी कि 'दिनांक 20.3.2015 को आसन द्वारा सदन में व्यवस्था दिये जाने के दौरान आसन के पैरों पर होते हुए भी अधिकारी दीर्घा में उपस्थित कतिपय अधिकारी दीर्घा से उठकर चले गये, इस सम्बन्ध में एक व्यवस्था का प्रश्न आया था, जिसमें अधिकारियों को दण्डित करने का निर्णय लिया गया था। आज दिनांक 24.3.2015 को प्रातः साढ़े दस बजे सदन का अवमान किये जाने वाले तीन दोषी अधिकारी मेरे वैश्म में उपस्थित हुए और बिना शर्त क्षमायाचना की और खेद प्रकट किया और भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं करने का उन्होंने आश्वासन दिया। उस समय प्रतिपक्ष के नेता माननीय रामेश्वर जी डूडी और संसदीय कार्य मंत्री राजेन्द्र सिंह जी भी थे। उनके इस प्रकार माफी मांगने के आधार पर यह राय बनी कि फिलहाल उनको चेतावनी देकर छोड़ दिया जाय और प्रकरण को ड्रॉप कर दिया जाय और आइन्दा वह ऐसा नहीं करे, यह उनसे कहा गया है। एक अधिकारी उपस्थित नहीं हुए, उस अधिकारी के खिलाफ मैं अलग से कार्यवाही करूँगा।'

5. दिनांक 25 मार्च, 2015 को अध्यक्ष महोदय ने सदन को बताया कि 'सदन में दिनांक 20.3.2015 को आसन के पैरों पर होने की स्थिति में राजकीय दीर्घा से कुछ अधिकारी उठ कर चले गये थे। इस सम्बन्ध में सदन द्वारा अधिकारियों को दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया था। उनमें से एक अधिकारी श्री मोहनलाल अग्रवाल, वरिष्ठ शासन उप सचिव, सैनिक कल्याण दिनांक 24.3.2015 को सदन की बैठक स्थगित होने के तुरन्त पश्चात् मेरे वैश्म में उपस्थित हो गये थे। तत्समय श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री भी वैश्म में उपस्थित थे। श्री अग्रवाल दिनांक 24.3.2015 को प्रातः 10.30 बजे मेरे वैश्म में इसलिये उपस्थित नहीं हो सके थे कि वे पुरी की यात्रा पर गये हुए थे। जैसे ही उन्हें सूचना मिली, तुरन्त आपात विमान से जयपुर आकर विधान सभा में उपस्थित हुए। श्री अग्रवाल द्वारा कल सवेरे अनुपस्थित होने का यह स्पष्टीकरण ठीक था, अतः कल की अनुपस्थिति को नहीं देखा जाएगा। श्री अग्रवाल द्वारा दिनांक 20.3.2015 की घटना के

सम्बन्ध में बिना शर्त क्षमायाचना की गई एवं खेद प्रकट किया गया। इस पर उन्हें भविष्य में पुनरावृत्ति नहीं करने की चेतावनी देते हुए इनके विरुद्ध कार्यवाही ड्रॉप की जाती है।'

दिनांक 31 मार्च, 2015 माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री रमेश, सदस्य विधान सभा को स्थगन प्रस्तावों पर दी गई व्यवस्था का विरोध करते हुए आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना किये जाने तथा सदन में लगातार व्यवधान उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप उन्हें विधान सभा से निष्कासित किया गया। माननीय अध्यक्ष ने तत्संदर्भ में लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों का नियम 374 ए पढ़कर सुनाया कि '(1) Notwithstanding anything contained in rules 373 and 374, in the event of grave disorder occasioned by a member coming into the well of the House or abusing the Rules of the House persistently and wilfully obstructing its business by shouting slogans or otherwise, such member shall, on being named by the Speaker, stand automatically suspended from the service of the House for five consecutive sittings or the remainder of the session, whichever is less: Provided that the House may, at any time, on a motion being made, resolve that such suspension be terminated. (2) On the Speaker announcing the suspension under this rule, the member shall forthwith withdraw from the precincts of the House.'

माननीय अध्यक्ष ने कहा कि आसन का यह दायित्व है कि विधान सभा का सत्र ठीक ढंग से चले, विधान सभा की बैठक मर्यादा से चले सभी सदस्य विधान सभा की मर्यादाओं का पालन करें तथा कार्यवाही के संचालन में सहयोग करे। यदि भविष्य में कोई सदस्य आसन के आदेशों की अवहेलना करेगा तथा सदन की कार्यवाही को लगातार बाधित करने का प्रयास करेगा तो आसन को मजबूर होकर कठोर कार्यवाही करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।

सदस्यों का निलम्बन एवं निलम्बन समाप्ति

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 3 मार्च, 2015 को श्री कालूलाल गुर्जर ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया कि 'आज दिनांक 3 मार्च, 2015 को सदन में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर वाद-विवाद के दौरान नेता प्रतिपक्ष अपने विचार रख रहे थे, तभी कांग्रेस के कतिपय माननीय सदस्यों द्वारा विधान सभा के बाहर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज को लेकर शोर-शराबा करने लगे। हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य श्री अशोक चान्दना को कपड़े उतार कर सभी कांग्रेस पार्टी के सदस्य वैल में आ गये तथा शोर-शराबा करते रहे। क्रोधावेश में अपने हाथों का प्रदर्शन कर माननीय अध्यक्ष के विरुद्ध आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हुए माननीय अध्यक्ष के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करते रहे तथा वैल में धरने पर बैठ गये, जिसके कारण सदन में अवरोध उत्पन्न हुआ।

कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों एवं खींवसर से आने वाले निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल का यह कृत्य विधान सभा व संसदीय प्रक्रियाओं एवं उच्च परम्पराओं का खुला अपमान एवं घोर निंदनीय है। कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों एवं खींवसर से आने वाले माननीय सदस्य श्री हनुमान बेनीवाल का उक्त कृत्य व आचरण निंदनीय और सदन की गरिमा को निश्चित ही गिराने

वाला है। अतः मैं, आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूँ कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बृजेन्द्र ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल को उनके इस कृत्य के फलस्वरूप इस सत्र की शेष अवधि के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया जाए।' सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत निलम्बन का प्रस्ताव सदन द्वारा स्वीकार किया गया।

दिनांक 13 मार्च, 2015 को श्री कालूलाल गुर्जर, सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया कि 'दिनांक 3 मार्च, 2015 को सदन द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल को माननीय अध्यक्ष महोदय के विरुद्ध आक्रामक भाषा का प्रयोग करने एवं माननीय अध्यक्ष के आदेशों की निरन्तर अवहेलना करने तथा सदन में अवरोध उत्पन्न करने के कृत्य के फलस्वरूप वर्तमान सत्र की अवधि के लिये सदन की सदस्यता से निलम्बित किया गया था। इस सदन की अध्यक्ष महोदय, उच्च एवं गौरवशाली परम्परा रही है, कई बार पूर्व में ऐसे अवसर आये हैं, जब सदन में अनुशासन बनाये रखने एवं प्रक्रिया और नियमों की पालना कराने हेतु सदस्यों को निलम्बित करने सम्बन्धी कठोर निर्णय इस सदन द्वारा लिये गये हैं, लेकिन इसके साथ ही पक्ष और विपक्ष के मध्य सौहार्द्रपूर्ण वातावरण बना रहे और यह सदन जन-आंकाक्षाओं के अनुरूप कार्य करे तथा इस सदन की गौरवशाली परम्परा अक्षुण्ण बनी रहे, इस हेतु माननीय सदन की नेता ने जो अभी मुझे निर्देशित किया है। इनके सौहार्द्रपूर्ण और विशाल हृदय को देखते हुए मैं पूर्व परम्पराओं को दोहराते हुए यह प्रस्ताव सदन की राय हेतु प्रस्तुत कर रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्य श्री अशोक चांदना, श्री श्रवण कुमार, श्री धीरज गुर्जर, श्री गोविन्द सिंह डोटासरा, श्री सुखराम विश्नोई, श्री रमेश, श्री बृजेन्द्र सिंह ओला, श्री गिर्राज सिंह एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल के अब तक के निलम्बन को पर्याप्त मानते हुए इस प्रस्ताव के पारित होने के बाद शेष निलम्बन तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाय।' सदन द्वारा प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य

सत्र के दौरान निम्न विषय पर सदन में वक्तव्य दिया गया -

क्र.	मंत्री का नाम	दिनांक	विषय
1.	श्री गुलाबचन्द कटारिया गृह मंत्री	03.03.2015	विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया।
2.	श्री गुलाबचन्द कटारिया सहायता मंत्री	16.03.2015	सम्पूर्ण प्रदेश में हुई बेमौसम की अतिवृष्टि एवं ओला-वृष्टि से फसलों को हुए नुकसान तथा राज्य सरकार द्वारा किये गये राहत कार्यों के बारे में वक्तव्य दिया।

			चर्चा में 93 सदस्यों ने भाग लिया व श्रीमती वसुन्धरा राजे, मुख्य मंत्री ने स्पष्टीकरण दिया।
2.	श्री गुलाबचन्द कटारिया आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री	08.04.2015	भारत सरकार द्वारा आपदा राहत नियमों में परिवर्तन किये जाने के सम्बन्ध में वक्तव्य दिया। इस पर तीन सदस्यों ने विचार व्यक्त किये।

सदन में अव्यवस्था और बैठक का स्थगन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 3 मार्च, 2015 को कांग्रेस पार्टी के सदस्यों को निलम्बित किये जाने के विरोध में सदन के वैल में आकर नारेबाजी किये जाने से सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान लगातार रहने के कारण सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई। तत्पश्चात् पुनः 15 मिनिट के लिए स्थगित की गई।

2. दिनांक 31 मार्च, 2015 माननीय अध्यक्ष द्वारा श्री रमेश, सदस्य विधान सभा ने स्थगन प्रस्तावों पर दी गई व्यवस्था का विरोध करते हुए आसन के आदेशों की निरन्तर अवहेलना किये जाने तथा सदन में लगातार व्यवधान उत्पन्न किये जाने के फलस्वरूप उन्हें विधान सभा से निष्कासित किया गया। इसे लेकर सदन में अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ जिसके फलस्वरूप सदन की बैठक आधे घण्टे के लिए स्थगित की गई।

3. दिनांक 1 अप्रेल, 2015 को माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रश्न काल हेतु श्री हीरालाल, सदस्य, विधान सभा का नाम पुकारे जाने पर कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने किसानों को उनकी खराब हुई फसल का मुआवजा नहीं देने एवं बिजली की बढ़ाई हुई दरें वापस नहीं लेने के विरोध में हाथों में तख्तियाँ लेकर सदन में प्रवेश करते हुए किसानों को उचित मुआवजा दिये जाने की मांग की। इससे सदन में घोर अव्यवस्था एवं व्यवधान हुआ जिसके कारण सदन की बैठक सम्पूर्ण दिवस के लिए स्थगित की गई।

सदन से बहिर्गमन

1. समीक्ष्य सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2015 को कांग्रेस पार्टी द्वारा भूमि अधिग्रहण विधेयक तथा बिजली की बढ़ी हुई दरों को वापस लेने की मांग को लेकर विधान सभा भवन के बाहर चल रहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन पर पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज की उच्च स्तरीय जाँच नहीं कराये जाने तथा कांग्रेस पार्टी के 8 विधायकों का सदन की सदस्यता से निलम्बन को समाप्त नहीं किये जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया।

2. दिनांक 10 मार्च, 2015 को प्रश्न काल प्रारम्भ होते ही श्री रामेश्वरलाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने दिनांक 3 मार्च, 2015 को विधान सभा के बाहर प्रदर्शन कर रहे युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज की घटना के सम्बन्ध में सदन में गृह मंत्री द्वारा वक्तव्य नहीं दिये जाने पर सदन से बहिर्गमन किया। बाद में श्री गुलाब चन्द कटारिया ने सदन को

आश्वस्त किया कि पुलिस द्वारा किये गये लाठीचार्ज की घटना की वीडियो फुटेज देखकर उचित कार्यवाही करेंगे। उन्होंने प्रतिपक्ष से कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध किया।

3. दिनांक 16 मार्च, 2015 को श्री रामेश्वरलाल डूडी, नेता प्रतिपक्ष ने यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर दिनांक 3 मार्च, 2015 को विधान सभा के बाहर हुए लाठीचार्ज की जांच विधान सभा के सत्ता पक्ष एवं विपक्ष के सदस्यों की समिति से कराये जाने की मांग करते हुए इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन किया। इसके उपरांत श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य ने भी सदन से बहिर्गमन किया।

4. दिनांक 31 मार्च, 2015 को किसानों के बिजली बिल माफ नहीं करने एवं बिजली की बढ़ाई हुई दरें वापस नहीं लेने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों एवं निर्दलीय विधायक श्री हनुमान बेनीवाल ने सदन से बहिर्गमन किया।

5. दिनांक 6 अप्रेल, 2015 को प्रदेश में हुई बेमौसम अतिवृष्टि एवं ओलावृष्टि से बर्बाद फसल का किसानों को उचित मुआवजा नहीं देने के विरोध में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया।

अनुरोध एवं मांग

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 11 मार्च, 2015 को श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन को जानकारी दी कि कार्य सलाहकार समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष द्वारा किये गये अनुरोध पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हुए लाठीचार्ज के घटनाक्रम की विभिन्न चैनलों पर प्रसारित की गई वीडियो फुटेज को उन्हें दिखा दिया गया है। इस सबके बावजूद नेता प्रतिपक्ष आरोप लगाते हैं कि सत्तापक्ष ने हमें आमंत्रित नहीं किया। हम निवेदन करते हैं कि प्रतिपक्ष ने सारे वीडियो फुटेज देख लिए हैं, अब उन्हें कार्यवाही में भाग लेना चाहिए। श्री गुलाब चन्द कटारिया, गृह मंत्री ने भी प्रतिपक्ष से सदन की कार्यवाही में भाग लेने का अनुरोध किया।

दिनांक 12 मार्च, 2015 को श्री राजेन्द्र राठौड़, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में चल रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए विचार प्रकट करते हुए कहा कि विधान सभा के पश्चिमी द्वार पर कांग्रेस पार्टी के सदस्य धरने पर बैठे हैं। माननीय मुख्य मंत्री का कल बजट पर हुए सामान्य वाद-विवाद पर उत्तर होगा, इसलिए सत्तापक्ष बड़े विनम्र शब्दों में आपके माध्यम से निवेदन कर रहा है कि विपक्ष इण्डियन नेशनल कांग्रेस पार्टी द्वारा आसन से किसी प्रकार की प्रार्थना की गई हो, तो आसन हमें निर्देश प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष ने सदन को सूचित किया कि प्रतिपक्ष कांग्रेस के सदस्यों द्वारा दिये जा रहे धरने के बारे में न तो सचिव महोदय को, न मुझे कोई सूचना दी गई। लोकतंत्र में कई बार सदन में गतिरोध पैदा होता है, तो सत्तापक्ष और विपक्ष एक समझ विकसित कर विधान सभा की कार्यवाही का सुचारू संचालन करने में सफल होते हैं। मेरा माननीय गृह मंत्री और माननीय संसदीय कार्य मंत्री तथा प्रतिपक्ष से निवेदन है कि वे आपसी समझ विकसित कर मामले को सुलझाने में मदद करें।

प्रश्न काल

समीक्ष्य सत्र में 153 माननीय सदस्यों द्वारा कुल 6930 तारांकित तथा अतारांकित प्रश्न प्रस्तुत किये गये। प्राप्त प्रश्नों में से माननीय सदस्यों द्वारा मौखिक उत्तर के लिए कुल 3227 प्रश्न प्रस्तुत किये गये जिनमें से 477 तारांकित प्रश्न, प्रश्न सूची में सूचीबद्ध किये गये। 40 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि 3-3 सदस्यों ने 39-39 व 38-38, 2 सदस्यों ने 37-37 तथा शेष 86 सदस्यों ने 36-36 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल, श्रीमती अलका सिंह, सुश्री कीर्ति कुमारी तथा डॉ. मंजू बाघमार ने सर्वाधिक 40-40 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 11-11 प्रश्न श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री ज्ञान देव आहुजा तथा श्री चन्द्रभान सिंह 'आक्या' के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती अलका सिंह के 8 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

उक्त के अतिरिक्त 3703 अतारांकित प्रश्न भी लिखित उत्तर के लिए प्राप्त हुए जिसमें से 722 प्रश्न, प्रश्न सूची में सूचीबद्ध हुए। 24 माननीय सदस्यों ने अधिकतम 60-60 प्रश्न प्रस्तुत किये जबकि श्रीमती गोलमा के 59, 3 सदस्यों के 58 तथा शेष 115 सदस्यों ने 56 अथवा इससे कम प्रश्न प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों में श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल ने सर्वाधिक 60 प्रश्न प्रस्तुत किये। सूचीबद्ध हुए प्रश्नों में सर्वाधिक 17 प्रश्न श्री घनश्याम तिवाड़ी तथा 16 प्रश्न डॉ. जसवन्त सिंह यादव के थे। महिला सदस्यों में श्रीमती अलका सिंह, श्रीमती गोलमा तथा श्रीमती अंजू देवी धानका के 9-9 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

विभागानुसार विश्लेषण के अनुसार प्राप्त तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 248 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 240 प्रश्न ऊर्जा विभाग, 217 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 211 प्रश्न शिक्षा विभाग तथा 202 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले तारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 26 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग, 25 प्रश्न जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 24-24 प्रश्न सहकारिता तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग तथा 23 प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित थे। प्राप्त अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 295 प्रश्न शिक्षा विभाग, 279 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, 245 प्रश्न ऊर्जा विभाग तथा 200 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग से सम्बन्धित थे। सूचीबद्ध होने वाले अतारांकित प्रश्नों में सर्वाधिक 46 प्रश्न शिक्षा विभाग, 44-44 प्रश्न सार्वजनिक निर्माण विभाग तथा जन स्वास्थ्य एवं अभियांत्रिकी विभाग, 37 प्रश्न नगरीय विकास एवं आवासन विभाग तथा 36 प्रश्न चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से सम्बन्धित थे।

यदि दलवार विश्लेषण किया जाये तो चतुर्थ सत्र में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2449 तारांकित प्रश्नों में से 385 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि म कांग्रेस के 409 में से 45, निर्दलीय सदस्यों के 198 में से 24, राष्ट्रीय जनता पार्टी के 94 में से 15, बहुजन समाज पार्टी के 48

में से 4 तथा एनयूजेडपी के 29 में से 4 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इसी प्रकार अतारांकित प्रश्नों में भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा दिये गये 2682 प्रश्नों में से 542 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि इण्डियन नेशनल कांग्रेस के सदस्यों के 504 में से 84, निर्दलीय सदस्यों के 260 में से 47, बहुजन समाज पार्टी के 91 में से 15, एनयूजेडपी के 22 में से 12 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी के सदस्यों के 144 में से 22 प्रश्न सूचीबद्ध हुए।

यदि लिंगवार विश्लेषण किया जाये तो महिला सदस्यों द्वारा दिये गये कुल 410 तारांकित प्रश्नों में से 53 प्रश्न सूचीबद्ध हुए तथा 433 अतारांकित प्रश्नों में से 85 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। शेष पुरुष सदस्यों द्वारा दिये गये 2817 तारांकित प्रश्नों में से 424 तथा 3270 अतारांकित प्रश्नों में से 637 प्रश्न सूचीबद्ध हुए। भारतीय जनता पार्टी की महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 324 तारांकित प्रश्नों में से 40 तथा 307 अतारांकित प्रश्नों में 51 प्रश्न सूचीबद्ध हुए जबकि निर्दलीय महिला सदस्यों द्वारा दिये गये 5 में से 2 तारांकित तथा 33 में से 9 अतारांकित प्रश्न, राष्ट्रीय जनता पार्टी के 44 में से 7 तारांकित तथा 70 में से 13 अतारांकित प्रश्न तथा एनयूजेडपी के 29 में से 4 तारांकित तथा 22 में से 12 अतारांकित प्रश्न सूचीबद्ध हुए। इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत द्वारा प्रस्तुत 8 तारांकित तथा 1 अतारांकित प्रश्नों में कोई भी प्रश्न सूचीबद्ध नहीं हो सका।

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 16 मार्च, 2015 को प्रश्न काल स्थगित किया गया। सूचीबद्ध हुए तारांकित प्रश्नों में से 94 प्रश्नों पर सदन में चर्चा हुई। सर्वाधिक 6-6 प्रश्नों पर दिनांक 31 मार्च, 2015 तथा 7 अप्रेल, 2015 को चर्चा हुई। सबसे कम एक प्रश्न पर दिनांक 1 अप्रेल, 2015 को चर्चा हुई। इस सत्र में 14 दिन 5-5 प्रश्नों पर चर्चा हुई।

आधे घण्टे की चर्चा

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 31 मार्च, 2015 को श्री मोहन लाल गुप्ता के तारांकित प्रश्न संख्या 311 (13/ऊर्जा) का उत्तर जो दिनांक 23 मार्च, 2014 को दिया गया था, से उत्पन्न मुद्दों पर आधे घण्टे की चर्चा उठायी। ऊर्जा राज्य मंत्री श्री पुष्पेन्द्र सिंह ने उत्तर से उत्पन्न मुद्दों पर स्थिति स्पष्ट की गई।

स्थगन प्रस्ताव

चतुर्थ सत्र में माननीय अध्यक्ष द्वारा व्यवस्था देते हुए प्रक्रिया के नियम 50 के अन्तर्गत 22 माननीय सदस्यों के 96 स्थगन प्रस्तावों को सदन में प्रस्तुत किये जाने की अनुमति नहीं दी गई, इनमें से 28 प्रस्तावों पर सम्बन्धित मंत्री द्वारा अभियुक्ति दी गई। स्थगन प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 13 सदस्यों ने 54 प्रस्ताव, बहुजन समाज पार्टी के 2 सदस्यों के 14 प्रस्ताव, राष्ट्रीय जनता पार्टी के डॉ. किरोड़ी लाल ने 4 प्रस्ताव, एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी ने 2 प्रस्ताव तथा 5 निर्दलीय सदस्यों ने 22 प्रस्ताव प्रस्तुत किये। महिला सदस्यों ने कुल 14 प्रस्ताव प्रस्तुत किये जिनमें से इण्डियन नेशनल कांग्रेस की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 10 प्रस्ताव प्रस्तुत

किये, शेष 2-2 प्रस्ताव श्रीमती सोना देवी तथा श्रीमती अंजू देवी धानका ने प्रस्तुत किये। सर्वाधिक प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले सदस्यों में श्री हनुमान बेनीवाल एवं श्री मनोज कुमार ने 12-12 प्रस्ताव प्रस्तुत किये।

विशेष उल्लेख की सूचनाएँ

समीक्ष्य सत्र में 111 माननीय सदस्यों की ओर से प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख की 252 सूचनाएं प्राप्त हुईं । इन सभी सूचनाओं में से 189 को सदन में पढ़ा गया तथा 63 को पढ़ा हुआ माना गया। प्रस्तुत सूचनाओं में से भारतीय जनता पार्टी के 89 सदस्यों ने 209, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 10 सदस्यों ने 19, सात निर्दलीय सदस्यों ने 13, बसपा के 2 सदस्यों ने 5 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी के 2 सदस्यों ने 5 तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी द्वारा एक सूचना प्रस्तुत की गई। प्रस्तुत सूचनाओं में से 10 सूचनाएँ 8 महिला सदस्यों द्वारा प्रस्तुत की गईं। इनमें से भारतीय जनता पार्टी की 15 सदस्याओं ने 31 सूचनाएँ तथा इनेकां की श्रीमती शकुन्तला रावत ने 2, निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका ने 2 तथा राष्ट्रीय जनता पार्टी की श्रीमती गोलमा ने 3 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। 19 महिलाओं ने कुल 39 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। महिलाओं में सर्वाधिक 5 सूचनाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती शिमला बावरी एवं 4 सूचनाएँ श्रीमती अलका सिंह ने प्रस्तुत कीं। श्री भागीरथ चौधरी ने 7 तथा श्री शुभकरण चौधरी एवं श्री जोगाराम पटेल ने सर्वाधिक 6-6 सूचनाएँ प्रस्तुत कीं। 4 सदस्यों ने 5-5, 11 सदस्यों ने 4-4 तथा शेष 93 सदस्यों ने 3 या इससे कम सूचनाएं प्रस्तुत कीं। दिनांक 19 मार्च, 2015 को म. रणधीर सिंह भींडर द्वारा प्रस्तुत सूचना पर गृह मंत्री श्री गुलाब चन्द कटारिया ने अभ्युक्ति दी।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये विषय

समीक्ष्य सत्र में पर्ची के माध्यम से 51 माननीय सदस्यों को अविलम्बनीय लोक महत्त्व के 87 विषय सदन में उठाने की अनुमति प्रदान की गई जिनमें से 28 विषयों पर सम्बन्धित मंत्री तथा 8 विषयों पर 2-2 मंत्रियों द्वारा अभियुक्ति दी गई । भारतीय जनता पार्टी के 47 सदस्यों द्वारा 77 विषय, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 सदस्यों द्वारा 8 विषय तथा निर्दलीय श्रीमती अंजू देवी धानका ने 2 विषय उठाये। 6 महिला सदस्यों ने 9 विषय सदन में उठाये । महिला सदस्यों में सर्वाधिक 3 विषय भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती अलका सिंह ने उठाये। सर्वाधिक 4-4 विषय श्री सुखराम विश्नोई तथा श्री फूल सिंह मीणा ने उठाये। 11 सदस्यों द्वारा 3-3, 8 सदस्यों द्वारा 2-2 तथा शेष 30 सदस्यों द्वारा एक-एक विषय पर्ची के माध्यम से उठाया गया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

चतुर्थ सत्र के दौरान नियम 131 के अन्तर्गत 470 प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई, उनमें से 183 के उत्तर राज्य सरकार से प्राप्त हो गये। इनमें से कुल 6 विषयों को ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करने हेतु सूचीबद्ध किया गया।

याचिकाओं का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में 44 माननीय सदस्यों ने 70 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। भारतीय जनता पार्टी के 39 सदस्यों द्वारा 65 याचिकाएँ, इण्डियन नेशनल कांग्रेस के 4 सदस्यों द्वारा 4 याचिकाएँ तथा एनयूजेडपी की श्रीमती सोना देवी ने एक याचिका उपस्थापित की। 13 महिला सदस्यों ने 19 याचिकाएँ उपस्थापित कीं। महिला सदस्यों में सर्वाधिक 3-3 याचिकाएँ भारतीय जनता पार्टी की श्रीमती अलका सिंह तथा श्रीमती अमृता मेघवाल ने उपस्थापित कीं। सर्वाधिक 4-4 याचिकाएँ श्री हमीर सिंह भायल, श्री कैलाश चौधरी तथा श्री भागीरथ चौधरी ने उपस्थापित कीं। 5 सदस्यों द्वारा 3-3, 7 सदस्यों द्वारा 2-2 तथा शेष 29 सदस्यों द्वारा एक-एक याचिका उपस्थापित की गई।

समितियों के प्रतिवेदनों का उपस्थापन

चतुर्थ सत्र के दौरान जन लेखा समिति के 26, राजकीय उपक्रम समिति के 11, कार्य सलाहकार समिति के 8, प्रश्न एवं संदर्भ समिति के 6, नियम समिति तथा स्थानीय निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं सम्बन्धी समिति के 2-2 तथा प्राक्कलन समिति 'क', प्राक्कलन समिति 'ख', सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति, महिला एवं बालकों के कल्याण सम्बन्धी समिति, पिछड़ा वर्ग के कल्याण सम्बन्धी समिति और याचिका समिति का एक-एक प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित किया गया। राजस्थान भूमि अर्जन विधेयक, 2014 पर गठित प्रवर समिति ने भी प्रतिवेदन उपस्थापित किया।

बलिदान दिवस पर शहीदों को नमन

चतुर्थ सत्र के दौरान दिनांक 23 मार्च, 2015 को महान क्रांतिकारी अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव के बलिदान दिवस पर सदन द्वारा उनकी शहादत को नमन किया गया।

बधाई संदेश

चतुर्थ सत्र के दौरान दिनांक 27 मार्च, 2015 को पूर्व प्रधान मंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दिये जाने पर सदन द्वारा उन्हें बधाई दी गई तथा महामना पंडित मदन मोहन मालवीय को शिक्षा के क्षेत्र में दिये गये उनके योगदान को दृष्टिगत रखते हुए मरणोपरान्त भारत रत्न से विभूषित किये जाने पर सदन द्वारा इस सम्मान के लिए उनको नमन किया गया।

राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार

चतुर्थ सत्र के दौरान दिनांक 31 मार्च, 2015 को सदन में राज्य में बिजली की स्थिति पर विचार किया गया। विचार-विमर्श के दौरान 30 सदस्यों ने विचार व्यक्त किये।

वित्तीय कार्य

(क) अनुपूरक अनुदान की मांगों का उपस्थापन एवं मतदान

चतुर्थ सत्र में दिनांक 10 मार्च, 2015 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2014-15 के लिए राजस्थान शासन के व्यय हेतु अनुपूरक अनुदान की मांगें

तथा वर्ष 2010-11 के लिए अतिरेक की मांगों का उपस्थापन किया जिन्हें दिनांक 22 मार्च, 2015 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

दिनांक 26 मार्च, 2015 को श्री राजपाल सिंह शेखावत, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री ने वर्ष 2011-12 के लिए अतिरेक की मांगों का उपस्थापन किया जिन्हें दिनांक 22 मार्च, 2015 को आसन द्वारा मुखबंद का प्रयोग कर सदन द्वारा पारित किया गया।

(ख) आय-व्ययक का उपस्थापन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 9 मार्च, 2015 को मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य के आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2015-2016 का उपस्थापन किया । आय-व्ययक पर चार दिन सामान्य वाद-विवाद हुआ जिसमें 63 माननीय सदस्यों ने भाग लिया। प्रथम दिन दिनांक 10 मार्च, 2015 को 8; 10 मार्च, 2015 को 18; 12 मार्च, 2015 को 19 तथा 13 मार्च, 2015 को 18 सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया । 13 मार्च, 2015 को सरकार की ओर से मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने चर्चा का उत्तर दिया। अंतिम दिवस 5 सदस्यों द्वारा आसन की अनुमति से लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखे गये। सामान्य वाद-विवाद में भारतीय जनता पार्टी के 58, निर्दलीय 3 तथा राष्ट्रीय जनता दल एवं बहुजन समाज पार्टी के एक-एक सदस्य ने भाग लिया। चर्चा में 8 महिला सदस्यों ने भाग लिया जो सभी भाजपा की थी।

(ग) अनुदान की मांगों पर विचार एवं पारण

समीक्ष्य सत्र में निम्नलिखित अनुदान की मांगों पर सदन में विचार एवं मतदान हुआ और शेष मांगों को 25 मार्च, 2015 को मुखबंद का प्रयोग किया जाकर सदन द्वारा पारित किया गया।

मांग सं.	विभाग	तिथि	कटौती प्रस्ताव	चर्चा में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या
16	पुलिस	16.03.2015	155	13
17	कारागार	16.03.2015	79	13
27	पेयजल योजना	19.03.2015	240	32 (4*)
46	सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर परि. सहित)	19.03.2015	154	32 (4*)
38	लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण	19.03.2015	57	32 (4*)
24	शिक्षा, कला एवं संस्कृति	20.03.2015	230	25 (1*)
47	पर्यटन	20.03.2015	122	25 (1*)
37	कृषि	21.03.2015	244	36 (8*)
36	सहकारिता	21.03.2015	167	36 (8*)

29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	22.03.2015	203	22 (1*)
20	आवास	22.03.2015	107	22 (1*)
30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	23.03.2015	92	18
33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	23.03.2015	145	18
42	उद्योग	24.03.2015	225	28 (10*)
43	खनिज	24.03.2015	202	28 (10*)
9	वन	24.03.2015	189	28 (10*)
19	लोक निर्माण कार्य	25.03.2015	151	52 (17*)
21	सड़कें एवं पुल	25.03.2015	363	52 (17*)

* आसन की अनुमति से लिखित वक्तव्य सदन की मेज पर रखे गये।

विधायी कार्य

(क) वित्तीय समितियों का गठन

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 10 मार्च, 2015 को सरकारी मुख्य सचेतक श्री कालूलाल गुर्जर द्वारा विधान सभा की चारों वित्तीय समितियों के लिए 15-15 सदस्यों का निर्वाचन किये जाने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव स्वीकार किया गया। सरकारी मुख्य सचेतक द्वारा प्रस्तुत एक अन्य प्रस्ताव भी स्वीकार किया गया जिसके द्वारा माननीय अध्यक्ष को यह अधिकार प्रदत्त किया गया कि वे इन समितियों का गठन आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर एकल संक्रमणीय मत द्वारा चुनाव कराने के उद्देश्य की यथासम्भव पूर्ति करते हुए प्रत्येक समिति में प्रत्येक दल अथवा समूह को उतना प्रतिनिधित्व दिया जाये जितना सभा में उनके सदस्यों का अनुपात है, के अनुसार सदस्यों का मनोनयन करें ।

(ख) अध्यादेश

समीक्ष्य सत्र में दिनांक 25 फरवरी, 2015 को निम्नांकित अध्यादेश सदन की मेज पर रखे गये -

1. राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) अध्यादेश, 2014 (वर्ष 2014 का अध्यादेश संख्या 1)
2. राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2014 (वर्ष 2014 का अध्यादेश संख्या 2)
3. राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण अध्यादेश, 2015 (वर्ष 2015 का अध्यादेश संख्या 1)

(ग) पारित विधेयक

समीक्ष्य सत्र में निम्न विधेयक सदन/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त कर पुर:स्थापित किये गये। विधेयकों का विवरण अग्रानुसार प्रकार है -

विधेयक सं./वर्ष	विधेयक का नाम	पुर:स्थापन की तिथि	विचार की तिथि	पारण की तिथि
01/2015	राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 2015	22.3.2015	22.3.2015	22.3.2015
02/2015	राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2015	22.3.2015	22.3.2015	22.3.2015
03/2015	राजस्थान विनियोग (संख्या-3) विधेयक, 2015	25.3.2015	26.3.2015	26.3.2015
04/2015	राजस्थान पंचायती राज (संशोधन) विधेयक, 2015	26.2.2015	27.3.2015	27.3.2015
05/2015	राजस्थान पंचायती राज (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2015	26.2.2015	27.3.2015	27.3.2015
06/2015	राजस्थान वित्त विधेयक, 2015	9.3.2015	26.3.2015	26.3.2015
01/2015	राजस्थान सिविल न्यायालय (संशोधन) विधेयक, 2015	16.3.2015	6.4.2015	6.4.2015
08/2015	राजस्थान कृषि उपज मण्डी (संशोधन) विधेयक, 2015	16.3.2015	7.4.2015	7.4.2015
09/2015	महाराणा प्रताप कृषि और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, उदयपुर (संशोधन) विधेयक, 2015	19.3.2015	6.4.2015	6.4.2015
10/2015	डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राज. आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2015	19.3.2015	7.4.2015	7.4.2015
11/2015	राजस्थान झील (संरक्षण और विकास) प्राधिकरण विधेयक, 2015	19.3.2015	21.3.2015	21.3.2015
12/2015	राजस्थान विनियोग (संख्या -4) विधेयक, 2015	6.4.2015	6.4.2015	6.4.2015
13/2015	राजस्थान अपार्टमेंट स्वामित्व विधेयक, 2015	22.3.2015	7.4.2015	7.4.2015
14/2015	राज. विशेष आर्थिक जोन विधेयक, 15	22.3.2015	6.4.2015	6.4.2015
15/2015	राजस्थान नदी बेसिन और जल संसाधन योजना विधेयक, 2015	24.3.2015	8.4.2015	8.4.2015

16/2015	राजस्थान ऊंट (वध का प्रतिषेध और अस्थायी प्रवजन या निर्यात का विनियमन) विधेयक, 2015	25.3.2015	27.3.2015	27.3.2015
17/2015	राजस्थान सम्पत्ति विरूपण निवारण (संशोधन) विधेयक, 2015	26.3.2015	8.4.2015	8.4.2015
18/2015	राजस्थान विरासत संरक्षण विधेयक, 2015	27.3.2015	9.4.2015*	-
19/2015	आर.एन.बी. ग्लोबल विश्वविद्यालय, बीकानेर विधेयक, 2015	31.3.2015	9.4.2015	9.4.2015
20/2015	राजस्थान डायन-प्रताड़ना निवारण विधेयक, 2015	31.3.2015	9.4.2015	9.4.2015
21/2015	राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2015	31.3.2015	8.4.2015	8.4.2015
22/2015	राजस्थान राज्य बस टर्मिनल विकास प्राधिकरण विधेयक, 2015	6.4.2015	9.4.2015	9.4.2015
23/2015	राजस्थान विधान सभा (अधिकारियों तथा सदस्यों की परिलब्धियां और पेंशन) (संशोधन) विधेयक, 2015	6.4.2015	9.4.2015	9.4.2015
24/2015	कारागार (राज. संशोधन) विधेयक, 15	8.4.2015	-	-
20/2014	राजस्थान राज्य राजमार्ग विधेयक, 2014**	28.7.2014	9.4.2015	9.4.2015

* प्रवर समिति को निर्दिष्ट

** गत सत्र में पारित विधयेक माननीय राज्यपाल द्वारा पुनर्विचार हेतु लौटाया गया जिसे सदन द्वारा पुनः पारित किया गया।

शोकाभिव्यक्ति

समीक्ष्य चतुर्थ सत्र में सदन में निम्नांकित के निधन पर शोक प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया -

[25.02.2015]

1. श्री रामेश्वर ठाकुर	पूर्व राज्यपाल, उड़ीसा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश	15.01.2015
2. श्री सुल्तान सिंह	पूर्व राज्यपाल, त्रिपुरा	16.12.2014
3. श्री ए.आर. अन्तुले	पूर्व मुख्य मंत्री, महाराष्ट्र	02.12.2014
4. श्रीमती ऊषी खान	पूर्व सांसद, राज्य सभा	08.10.2014

5. श्री रघुनाथ परिहार	पूर्व मंत्री एवं सदस्य, आठवीं विधान सभा	21.02.2015
6. श्री भंवरू खान	पूर्व सदस्य, ग्यारहवीं, बारहवीं एवं तेरहवीं विधान सभा	21.12.2014
7. श्री जयदेव प्रसाद इन्दौरिया	पूर्व सदस्य, सातवीं एवं ग्यारहवीं विधान सभा	17.11.2014
8. श्री देवीलाल मीणा	पूर्व सदस्य, दूसरी, तीसरी, चौथी एवं पाँचवीं विधान सभा	21.09.2014
9. श्री जीवराज सिंह	पूर्व सदस्य, तीसरी विधान सभा	28.12.2014
10. श्रीमती गंगादेवी डाटा	पूर्व सदस्य, दूसरी विधान सभा	05.02.2015
	[10.03.2015]	
11. श्री रामसुन्दर दास	पूर्व मुख्य मंत्री, बिहार	06.03.2015
12. श्री दूलाराम	पूर्व मंत्री एवं सदस्य, छठी एवं सातवीं विधान सभा	06.03.2015
	[12.03.2015]	
13. श्री हुकुम सिंह	पूर्व मुख्य मंत्री, हरियाणा	26.02.2015
	[19.03.2015]	
14. श्री मांगीलाल आर्य	पूर्व राज्य मंत्री सदस्य, सातवीं एवं आठवीं विधान सभा	14.03.2015
	[06.04.2015]	
15. श्री थैनफुंगा सेलो	पूर्व मुख्य मंत्री, मिजोरम	27.03.2015
16. श्री ललित किशोर चतुर्वेदी	पूर्व मंत्री एवं सदस्य, छठी, सातवीं, आठवीं, नौवीं एवं दसवीं विधान सभा	05.04.2015